राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन-ID

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में **अंग प्रत्यारोपण** से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है।

- केंद्र ने राज्यों से राज्य में विदेशी नागरिकों के संबंध में प्रत्यारोपण की जाँच के लिये **मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम (THOTA), 1994** के तहत उचित प्राधिकारी को निर्देश देने का आग्रह किया है।
- इसने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि **जीवित-दाता** और **मृत-दाता** दोनों के अंगों के प्रत्यारोपण हेतु दाता व प्राप्तकर्त्ता के लिये एक NOTTO (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन- National Organ & Tissue Transplant Organisation) ID बनाया जाए।
  - **मृतक-दाता प्रत्यारोपण** के मामले में अंगदान पर विचार करने के लिये **NOTTO-ID अनिवार्य** है।
- केंद्र ने निर्देश दिया है कि **जीवित-दाता प्रत्यारोपण** के मामले में भी यह ID प्रत्यारोपण सर्जरी होने के बाद जल्द-से-जल्द, अधिकतम **48 घंटों** के भीतर तैयार की जाएगी।
- भारतीय कानून के अनुसार, **देश में अंग के वाणिज्यिक व्यापार की अनुमति नहीं है।**
  - किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान तभी किया जा सकता है जब वे (दाता तथा प्राप्तकर्त्ता) आपस में **निकट संबंधी** हों या **नज़दीकी रिश्ते** में हों और **निस्वार्थ** भाव से अंगदान करना चाहते हों।

और पढ़ें: अंग प्रत्यारोपण में सुधार

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-organ-tissue-transplant-organisation-id